Annexure-1

प्रारुप—30

FORM-1

(for liner projects)
Government of Uttarakhand
Office of the District Collector Garhwal

No.18/8 LAC (2020-21) **Dated** 7.4.2021

To WHOM SOEVER IT MAY CONCERN

In compliance of the Ministry of Environment and Forests(MoEF), Government of india's letter No. 11-9/98-FC(pt) dated 3rd August 2009 wherein the MoEF issued guidelines of submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of rights under the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act,2006(FRA, for short) on the forest land proposed to be diverted for non-forest purposes read with MoEF's letter dated 5th February 2013 wherein MoEF issued certain relaxation in respect of linear projects, it is certified that **0.840 hectares** of forest land proposed to be diverted in favour of **Public work Department** for **Wadda Motor Road km 6 to Malara Bara in Jaiharikhal Block in Chaubttakhal Constituency at Distt Pauri garhwal Uttarakhand of the P.D. P.W.D. Lansdowne** falls within jurisdiction of **Malara Bara** village(s) in **Satpuli** Tehsil.

It is further certified that:

(a) the compete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire **0.840 hectares** of forest area diversion. A copy of records of all consultations and meetings of the Forest Rights Committee(s), Gram Sabha(s) Sub-Division level Committee(s) and the District Level Committee are enclosed as annexure --- to.......... annexure ------

(b) the diversion of forest land for facilities managed by the Government as required under section 3(2) of the FRA have been completed and the Gram Sabhas have given their consent to it;

(c) the proposal does not involve recognized rights of Primitive Tribal Groups and Pre agricultural communities.

Encl.. As above

जिलाधिकारी
गढ़वाल
(Dr.Vijay Kumar Jogdande)
District Collector, Garhwal.

प्रारूप 30.1

OFFICE OF THE DEPUTY COMMISSIONER
DISTRICT **GARHWAL** (U.K.)

Proceeding of the meeting of the district level committee constituted under schedule tribes & other Traditional forest Dwellers (recognition of rights) act (FRA). 2006.

A meeting of the district level committee of **Garhwal** district, constituted under FRA. 2006 was held under the chairmanship of Mr. ------ I.A.S deputy commissioner, **Garhwal** on dated 7/4/2021 at time 11:0AM at **Pauri** in which application claiming rights in **Civil Forest** area measuring **0.840** hect for the construction of **Wadda Motor Road km 6 to Malara Bara in Jaiharikhal Block in Chaubttakhal Constituency at Distt Pauri garhwal Uttarakhand** forest land under FRA. 2006 of the following applicant duly processed and recommended by the sub divition level committee of **Satpuli** sub division were discussed to consider the same for admission by the district level committee.

After scrutiny of the documents and detailed discussions, no objection/claims were found to have been made & hence District level committee recommend the above case for diversion of land for the said purpose.

Place;...Pauri.....

Dated:.7.:4:2021

जिलाधिकारी
गढ़वाल

(Dr.Vijay Kumar Jogdande)
Deputy Commissioner-cum-Chairman
District Level Committe

FORM-II

(for projects other than linear projects)

Government of Uttarakhand Office of the District Collector-------

No---18/8 LAC (2020-21) Dated--7-4-2021

To WHOWSOEVER IT MAY CONCERN

In complinance of the Ministry of Environment and Forests (MoEF), Government of India's letter No 11-9/98-FC(pt) dated 3rd August 2009 wherein the MoEF issued guidelines on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of rights under the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Rocognition of Forest Rights) Act, 2006 ('FRA', for short) on the forest land proposed to be diverted for non-forest purposes, it is certified that **0.840** hectares of forest land proposed to be diverted in favour of P.D. P.W.D. Lansdowne Garhwal for **Wadda Motor Road km 6 to Malara Bara in Jaiharikhal Block in Chaubttakhal Constituency at Distt Pauri garhwal Uttarakhand of the P.D. P.W.D. Lansdowne** falls within jurisdiction of **Malara Bara** village(s) in **Satpuli** Tehsil

It is further certified that:

(a) the complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire **0.840** hectares of forest land proposed for diversion. A copy of records of all consulations and meetings of the Forest Rights committee(s), Gram Sabha(s) sub- Division laevel Committee(s) and the District Level Committee are enclosed as annexure …to …annexure….

(b) the proposal for such diversion (with full details of project and its implications, in vernacular/ local language) have been placed before each concered Grama Sabha of forest-dwellers, who are eligible under the FRA;

69

(c) the each of concerned Gram Sabha (s), has certified that all formalities/processes under the FRA have been carried out, and that they have given their consent to the proposed diversion and the compensation and ameliorative measures, if any, having understood the purpose and details of proposed diversion. a copy of certificate issued by the garm sabha of **Malara Bara** villages(s) is enclosed as annexure….. to annexure……

(d) the discussion and decisions on such proposals had taken pace only when there was a quorum of minimum 50% of the members of Gram Sabha present;

(e) the diversion of forest land for facilities managed by the Government as required under section 3 (2) of the FRA have been completed and the Grama Sabhas have given their consent to it;

(f) the rights of Primitve Tribal Groups and Pre-Agricultural communites, where applicable have been specifically safeguarded as per section 3 (1)(e) of the FRA

Encl.. As above

(Dr.Vijay Kumar Jogdande)
District Collector, Garhwal.

कलेक्टर गढ़वाल

F:\Wadda to Malara Bada.doc (Page-43)

It is further certified that – Minutes Of Meeting of **Construction of Wadda Motor Road km 6 to Malara Bara in Jaiharikhal Block in Chaubttakhal Constituency at Distt Pauri garhwal Uttarakhand** (Length 0.925 Km.) regarding FRA is as following :

S.No.		Remark
(a)	The Complete process for indentification and settlement of rights under the FRA had been Carried out for the entire **0.840** hectares of Forest area proposed for diversion. A copy of record of all Consultations and meeting of the forest Right Committee(s), Sub Division Level Committee(s) are enclosed as **annexure 30.2**	Yes Copy of records attached as there are no habitants belonging to scheduled tribes and other traditional Forest Dwellers.
(b)	The Diversion of forest land for Facilities managed by the Government as required under section 3(2) of the FRA have been Completed and the Gram Sabhas have given consent to it.	Yes Copy of records attached as there are no habitants belonging to Scheduled tribes and other traditional Forest Dwellers. No objection certificate concerned villages **Malara Bara** regarding construction of aforesaid construction of Motor Road is attached.
(c)	The proposal does not involve recognized rights of primitive Tribal groups and pre-agricultural Communities.	Yes Copy of records attached as there are no habitants belonging to Scheduled tribes and other traditional Forest Dwellers.

जिला पंचायत सदस्य
पौड़ी गढ़वाल
श्रीमती पूजा देवी
जिला पंचायत सदस्य
वार्ड 17 टसीला, पौड़ी गढ़वाल

जिला समाज कल्याण अधिकारी
पौड़ी गढ़वाल

प्रभागीय वनाधिकारी
गढ़वाल वन प्रभाग,
पौड़ी।

श्रीमती विनीता देवी
क्षेत्र पंचायत सदस्य

(डॉ0 विजय कुमार जोगदण्डे)
जिलाधिकारी
गढ़वाल।

दिनांक 7-4-2021 को जिलाधिकारी गढ़वाल की अध्यक्षता में आयोजित अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों को मान्यता) अधिनियम–2006 एवं तत्सम्बन्धी नियम 2007 के अन्तर्गत जिला स्तरीय समिति की बैठक का कार्यवृत्त।

बैठक में उपस्थित रही :–

1.	सर्व श्री डॉ0 विजय कुमार जोगदण्डे	जिलाधिकारी,पौड़ी गढ़वाल	अध्यक्ष।
2.	श्री के० एस० रावत	प्रभागीय वनाधिकारी,गढ़वाल वन प्रभाग,पौड़ी	सदस्य।
3.	श्रीमती सुनीता अरोड़ा	जिला समाज कल्याण अधिकारी पौड़ी	सदस्य।
4.	श्रीमती पूजा	जिला पंचायत सदस्य	सदस्य।

बताया गया कि (1) वडड्] ताड़केश्वर मोटर मार्ग के किमी0 6 से मलारा बड़ा मोटर मार्ग निर्माण हेतु वन भूमि का हस्तान्तरण होना प्रस्तावित है। जिनके प्रस्ताव प्राप्त किये गये है। उक्त मार्गो हेतु उप खण्ड स्तरीय समिति द्वारा वन अधिनियम 2006 के अन्तर्गत सभी कार्यवाही करते हुए निर्धारित प्रपत्र निर्गत किये गये है।

मार्गो का विवरण निम्नवत है :–

1. **वडड्ा ताड़केश्वर मोटर मार्ग के किमी0 6 से मलारा बड़ा मोटर मार्ग** :– इस मोटर मार्ग का निर्माण पूर्व स्वीकृत वडड्ा ताड़केश्वर मोटर मार्ग के किमी0 6 से आरम्भ होकर ग्राम मलारा बड़ा की सीमा पर समाप्त होता है। मार्ग की स्वीकृत लम्बाई 1.00 किमी0 है,परन्तु मोटर मार्ग केवल 0.925 किमी0 लम्बाई में ही मुख्य सड़क से जुड़ रहा है। इस मार्ग के प्रारम्भिक भाग में 125.00 मीटर लम्बाई में ग्राम वडड्ा की नाप भूमि (कास्तकारी भूमि) तत्पश्चात 800.00मी0 लम्बाई में सिविल वन भूमि प्रभावित हो रही है। मोटर मार्ग निर्माण में प्रस्तावित भूमि पर कोई अनुसूचित जनजाति,अदिवासी एवं अन्य परम्परागत वनवासी प्रभावित नही हो रहे है। इस सम्बन्ध में उप खण्ड स्तरीय समिति द्वारा संस्तुति प्रदान की जा चुकी है, उक्त मार्ग निर्माण में ग्राम मलारा बड़ा की जनसंख्या 200 सहित अन्य क्षेत्रीय जनता भी लाभान्वित होगी, प्रस्तावित मार्ग के अतिरिक्त उक्त गांवों को जोड़ने हेतु कोई वैकल्पिक मार्ग नही है और ना ही प्रस्तावित है।

निर्णय

अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं तत्सम्बन्धी नियम 2007 के अन्तर्गत गठित उपखण्ड स्तरीय समिति से प्राप्त वडड़ा ताड़केश्वर मोटर मार्ग के किमी0 6 से मलारा बड़ा मोटर मार्ग पर सिविल वन भूमि 0.840हे0 लो0नि0नि0 को उप खण्डीय स्तरीय समिति की संस्तुति के आधार पर जनहित में सक्षम प्राधिकारी से अनुमति प्राप्त कर प्रत्यावर्तित किये जाने पर सहमति व्यक्त की गयी।

सभी उपस्थित सदस्यों को धन्यवाद ज्ञापित करते हुऐ बैठक का समापन किया गया।

(डॉ0 विजय कुमार जोगदण्डे) आई0ए0एस0
जिलाधिकारी,
गढ़वाल।

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता,प्रा0खण्ड,लो0नि0वि0,लैन्सडौन

पत्रांक 18 21सी0 दिनांक

1. प्रतिलिपि जिला समाज कल्याण अधिकारी,पौड़ी गढ़वाल को सूचनार्थ प्रेषित।
2. प्रतिलिपि प्रभागीय वनाधिकारी, गढ़वाल वन प्रभाग पौड़ी को सूचनार्थ प्रेषित।

अधिशासी अभियन्ता,
प्रा0खण्ड,लो0नि0वि0,
लैन्सडौन गढ़वाल।

प्रारूप 30.2

कार्य का नाम :–	**जनपद पौड़ी गढ़वाल के विकासखण्ड जयहरीखाल में वडडा मोटर मार्ग के किमी0 6 से मलारा बड़ा तक मोटर मार्ग का निर्माण लम्बाई स्वीकृत 1.00 कि0मी0, वास्तविक 0.925 किमी0।**

कार्यालय उप जिलाधिकारी **सतपुली**

अनुसूचित जनजाति और परम्परागत वनवासी अधिनियम 2006 के तहत

प्रमाण पत्र

उपखण्ड स्तरीय समिति **सतपुली**

उपखण्ड **सतपुली** परिक्षेत्र के अन्तर्गत **चौबटटाखाल के विकास खण्ड जयहरीखाल के अन्तर्गत वडडा मोटर मार्ग के किमी. 6.00से मलारा बड़ा मोटर मार्ग का नव निर्माण लम्बाई स्वीकृत 1.00किमी0 वास्तविक 0.925 किमी0** हेतु (शून्य **हे0** आरक्षित वन भूमि **0.840**हे0 सिविल एवं सोयम वन भूमि शून्य हे0वन पंचायत भूमि अर्थात कुल **0.840 हे0** वन भूमि) का लोक निर्माण विभाग प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वनवासी (वन अधिकारी की मान्यता) अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय समिति, (तहसील **सतपुली**) की दिनांक 12-1-2021 को सम्पन्न बैठक की कार्यवाही का विवरण :–

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं नियम 2008 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की बैठक श्री संदीप कुमार उप जिलाधिकारी एवं अध्यक्ष उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की अध्यक्षता में आयोजित की गयी। बैठक में माननीय सदस्यों की उपस्थिति निम्नानुसार है।

1. श्री संदीप कुमार उपजिलाधिकारी सतपुली (गढ़वाल) अध्यक्ष
2. श्री राजेन्द्र सिंह रावत उप प्रभागीय वनाधिकारी गढ़वाल वन सदस्य
3. श्री संदीप रावत सहायक समाज कल्याण अधिकारी .... सदस्य/ सचिव
4. श्री विनीता देवी बी0डी0सी0 क्षेत्र (ग्राम विकास अधिकारी) .... सदस्य

उप प्रभागीय वनाधिकारी ... वन प्रभाग पौड़ी

श्रीमती विनीता देवी
क्षेत्र पंचायत सदस्या
क्षेत्र पंचायत बबीना-02

सहायक समाज कल्याण अधिकारी
वि० ख० जयहरीखाल (गढ़वाल)

पेज–2

उपखण्ड सचिव द्वारा माननीय सदस्यों का बैठक में स्वागत करते हुए उप जिलाधिकारी की अनुमति से बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ की गई। माननीय सदस्यो को अवगत कराया गया कि **चौबटटाखाल के विकास खण्ड जयहरीखाल के अन्तर्गत वडडा मोटर मार्ग के किमी. 6.00से मलारा बड़ा मोटर मार्ग का नव निर्माण लम्बाई स्वीकृत 1.00किमी0 वास्तविक 0. 925 किमी0तक** हेतु **0.840 हे0** वन भूमि का गैर वानिकी कार्यो हेतु लोक निर्माण विभाग प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु प्रस्ताव माननीय सदस्यों के समक्ष रखा गया। ग्राम सभा के अन्तर्गत वनाधिकार का कोई मामला लम्बित नही है। उक्त भूमि का सम्बधित ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से पारित प्रस्ताव के आधार पर सार्वजनिक उपयोग हेतु प्रत्यावर्तन की अनुषंसा की गई है।

सम्बधित उप प्रभागीय वनाधिकारी, द्वारा अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं तत्सम्बंधी नियम 2008 के प्राविधान को स्पष्ट करते हुए जानकारी से माननीय सदस्यों को अवगत कराया कि वन अधिनियम 2006 के अन्तर्गत किसी भी दावेदार का दावा/आवेदन पत्र प्रस्तुत नही किया गया है। इस सम्बंध में ग्राम सभा/पंचायत द्वारा अनापत्ति जारी की जा चुकी है। अतः प्रकरण में उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति द्वारा अनापत्ति जारी की जा सकती है।

बैठक में सर्वसम्मति से उपखण्ड **सतपुली** परिक्षेत्र के अन्तर्गत **चौबटटाखाल के विकास खण्ड जयहरीखाल के अन्तर्गत वडडा मोटर मार्ग के किमी. 6.00से मलारा बड़ा मोटर मार्ग का नव निर्माण लम्बाई स्वीकृत 1.00किमी0 वास्तविक 0.925 किमी0। तक** के निर्माण हेतु **0.840 हे0**वन भूमि **लो0नि0वि0** प्रयोक्ता एजेन्सी को जनहित में समक्ष प्राधिकारी से अनुमति प्राप्त कर प्रत्यावर्तित किये जाने पर सहमति व्यक्त की गयी।

उप जिलाधिकारी/अध्यक्ष
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति
तहसील **सतपुली**
जनपद **पौड़ी गढ़वाल।**

प्रतिलिपि जिलाधिकारी पौड़ी गढ़वाल को सूचनार्थ एवं आवष्यक कार्यवाही हेतु।

उप जिलाधिकारी/अध्यक्ष
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति
तहसील **सतपुली**
जनपद **पौड़ी गढ़वाल।**

G:\Wadda to Malara Bada.doc (Page-49)

प्रारूप 30.2

कार्य का नाम :–	जनपद पौड़ी गढ़वाल के विकासखण्ड जयहरीखाल में वडडा् मोटर मार्ग के किमी0 6 से मलारा बड़ा तक मोटर मार्ग का निर्माण लम्बाई स्वीकृत 1.00 कि0मी0, वास्तविक 0.925 किमी0 ।

कार्यालय उप जिलाधिकारी **सतपुली**

अनुसूचित जनजाति और परम्परागत वनवासी अधिनियम 2006 के तहत

प्रमाण पत्र

उपखण्ड स्तरीय समिति **सतपुली**

उपखण्ड **सतपुली** परिक्षेत्र के अन्तर्गत **चौबटटाखाल के विकास खण्ड जयहरीखाल के अन्तर्गत वडडा मोटर मार्ग के किमी. 6.00से मलारा बड़ा मोटर मार्ग का नव निर्माण लम्बाई स्वीकृत 1.00किमी0 वास्तविक 0.925 किमी0** हेतु (शून्य **हे0** आरक्षित वन भूमि **0.840**हे0 सिविल एवं सोयम वन भूमि शून्य हे0वन पंचायत भूमि अर्थात कुल **0.840 हे0** वन भूमि) का लोक निर्माण विभाग प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वनवासी (वन अधिकारी की मान्यता) अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय समिति, (तहसील **सतपुली**) की दिनांक 12-1-2021 को सम्पन्न बैठक की कार्यवाही का विवरण :–

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं नियम 2008 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की बैठक श्री संदीप कुमार उप जिलाधिकारी एवं अध्यक्ष उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की अध्यक्षता में आयोजित की गयी। बैठक में माननीय सदस्यों की उपस्थिति निम्नानुसार है।

1. श्री संदीप कुमार उपजिलाधिकारी सतपुली गढ़वाल अध्यक्ष
2. श्री राजेन्द्र सिंह रावत उप प्रभागीय वनाधिकारी गढ़वाल ... सदस्य
3. श्री सन्दीप खंकरियाल सहायक समाज कल्याण अधिकारी ... सदस्य / सचिव
4. श्री विनीता देवी बी0डी0सी0 क्षेत्र ... सदस्य
   (ग्राम विकास अधिकारी)

पेज–2

श्रीमती विनीता देवी
क्षेत्र पंचायत सदस्या
क्षेत्र पंचायत बबीना-02

G:\Wadda to Malara Bada.doc (Page-48)

मोरा R.D.C.

उपखण्ड सचिव द्वारा माननीय सदस्यों का बैठक में स्वागत करते हुए उप जिलाधिकारी की अनुमति से बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ की गई। माननीय सदस्यो को अवगत कराया गया कि **चौबटटाखाल के विकास खण्ड जयहरीखाल के अन्तर्गत वडडा मोटर मार्ग के किमी. 6.00से मलारा बड़ा मोटर मार्ग का नव निर्माण लम्बाई स्वीकृत 1.00किमी0 वास्तविक 0. 925 किमी0तक** हेतु **0.840 हे0** वन भूमि का गैर वानिकी कार्यो हेतु लोक निर्माण विभाग प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु प्रस्ताव माननीय सदस्यों के समक्ष रखा गया। ग्राम सभा के अन्तर्गत वनाधिकार का कोई मामला लम्बित नही है। उक्त भूमि का सम्बधित ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से पारित प्रस्ताव के आधार पर सार्वजनिक उपयोग हेतु प्रत्यावर्तन की अनुषंसा की गई है।

सम्बधित उप प्रभागीय वनाधिकारी, द्वारा अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं तत्सम्बंधी नियम 2008 के प्राविधान को स्पष्ट करते हुए जानकारी से माननीय सदस्यों को अवगत कराया कि वन अधिनियम 2006 के अन्तर्गत किसी भी दावेदार का दावा/आवेदन पत्र प्रस्तुत नही किया गया है। इस सम्बंध में ग्राम सभा/पंचायत द्वारा अनापत्ति जारी की जा चुकी है। अतः प्रकरण में उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति द्वारा अनापत्ति जारी की जा सकती है।

बैठक में सर्वसम्मति से उपखण्ड **सतपुली** परिक्षेत्र के अन्तर्गत **चौबटटाखाल के विकास खण्ड जयहरीखाल के अन्तर्गत वडडा मोटर मार्ग के किमी. 6.00से मलारा बड़ा मोटर मार्ग का नव निर्माण लम्बाई स्वीकृत 1.00किमी0 वास्तविक 0.925 किमी0।**
तक के निर्माण हेतु **0.840 हे0**वन भूमि **लो0नि0वि0** प्रयोक्ता एजेन्सी को जनहित में समक्ष प्राधिकारी से अनुमति प्राप्त कर प्रत्यावर्तित किये जाने पर सहमति व्यक्त की गयी।

उप जिलाधिकारी/अध्यक्ष
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति
तहसील **सतपुली**
जनपद **पौड़ी गढ़वाल।**

प्रतिलिपि जिलाधिकारी पौड़ी गढ़वाल को सूचनार्थ एवं आवष्यक कार्यवाही हेतु।

उप जिलाधिकारी/अध्यक्ष
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति
तहसील **सतपुली**
जनपद **पौड़ी गढ़वाल।**

प्रपत्र – 23

परियोजना का नाम :– **जनपद पौड़ी गढ़वाल में वड्डा मोटर मार्ग के किमी0 6.00 से मलारा बड़ा तक निर्माण हेतु 0.738 हे0 वन भूमि का गैरवानिकी कार्यो हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन।**

वन अधिकार अधिनियम 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण –पत्र

ग्राम पंचायत का नाम – ....वड्डा/........ ग्राम – मलारा बड़ा

तहसील – सतपुली जिला – पौड़ी गढ़वाल।

अनापत्ति प्रमाण पत्र

जिला पौड़ी गढवाल उत्तराखण्ड में वड्डा मोटर मार्ग के किमी0 6.00 से मलारा बड़ा तक मोटर मार्ग परियोजना के निर्माण हेतु आरक्षित वन भूमि ..X.... हे0 सिविल सोयम भूमि 0.738 हे0 वन पंचायत भूमि ..X.. हे0 अर्थात कुल 0.738 हे0 वन भूमि का लोक निर्माण विभाग/संस्था के पक्ष में भारत सरकार पर्यावरण एव वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया है।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत ग्राम मलारा वड़ा द्वारा दि0 21-06-19 को सम्पन्न ग्राम सभा/ ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के सम्बंध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम 2006 के प्राविधानो के तहत आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य है अथवा नही। उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य नही किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारो का हनन नही हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया/प्रस्ताव पारित किया गया कि **ग्राम मलारा बड़ा** के ग्रामवासियों को उक्त वन भूमि लोक निर्माण विभाग प्रयोक्ता एजेन्सी को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नही है।

प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है।

प्रधान ग्राम पंचायत वड्डा तहसील सतपुली, पौड़ी गढ़वाल

ग्राम प्रधान मुहर

ग्राम पंचायत विकास अधिकारी विकास खण्ड ... पौड़ी गढ़वाल (उत्तराखण्ड)

सचिव/
ग्राम पंचायत अधिकारी

प्रपत्र –23.1

दिनांक 21-06-2019 को ग्राम सभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति

ग्राम पंचायत वड्डा ग्राम - रतारा बड़ा

क्रमांक	ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ठ ग्रामवासियों के नाम	हस्ताक्षर
1.	बीरेन्द्र सिंह	[illegible]
2.	कंचन सिंह	[illegible]
3.	राजपाल सिंह	[illegible]
4.	जोत सिंह	JotSingh
5.	मेहरबान सिंह	मेहरबानसिंह
6.	खुशहाल सिंह	खुशालसिंह
7.	विजय सिंह	विजयसिंह
8.	सुभाष सिंह	सुभाषसिंह
9.	डबल सिंह	[illegible]
10.	कौंनलसिंह	[illegible]
11.	मदन सिंह	मदनसिंह
12.	राम सिंह	[illegible]
13.	सन्तोषसिंह	[illegible]
14.	चन्द्रसिंह	चन्द्रसिंह
15.	कौशलेन्द्रसिंह 965	[illegible]
16.	राम प्रकाश	[illegible]

दिनेशसिंह दिनेशसिंह

Amin-M-728

प्रपत्र –23.1

दिनांक 21-06-2019 को ग्राम सभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति

ग्राम पंचायत – वड्डा, ग्राम – मलाका बड़ा

क्रमांक	ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ठ ग्रामवासियों के नाम	हस्ताक्षर
17.	सच्चिदानन्द	सच्चिदानन्द
18.	राजेन्द्र सिंह	राजेन्द्रसिंह
19.	लक्ष्मी देवी	लक्ष्मीदेवी
20.	अनीता देवी	अनीता देवी
21.	जय प्रकाश	जयप्रकाशप्रधान
22.	Priya	Priya
23.	श्यामप्रसाद	श्यामप्रसाद
24.	~~शान्तीदेवी~~ जसपाल सिंह	जसपालसिंह
25.	भरोसा राम	भरोसाराम
26.	चन्द्रिका देवी	Chandrika Devi
27.	जगदीश प्रसाद	जगदीशप्रसाद
28.	रुक्मिनी देवी	(अंगूठा निशान)
29.	~~राजपाल~~ ~~चन्द्रप्रकाश~~	[illegible]
30.	शान्तीदेवी	शान्ती देवी
31.	रामली देवी	(अंगूठा निशान)

ग्राम प्रधान मुहर

प्रधान ग्राम पंचायत वड्डा